"प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021"

FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी जिला नागौर(राज0)

प्रार्थी	अप्रार्थी
राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी जिला नागौर	

किस्म मुकदमा प्रार्थना–पत्र धारा 131, 132 R.L.R.Act 1956 व नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957

प्रार्थना–पत्र नम्बर 462 / 2021 **GCMS No. 2021/535**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.10.2021	राजस्थान राज्य सरकार की ओर से जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी की ओर से प्रार्थना–पत्र धारा 131, 132 R.L.R.Act 1956 व नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के तहत कैम्प ग्राम पंचायत रूपपुरा टोरड़ा में प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रकरण का अलवोकन किया गया। **ग्राम उगरपुरा पटवार मण्डल उगरपुरा तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 436 में** जा रहे चालू रास्ते का अंकन राजस्व अभिलेख में करवाने हेतु प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 एवं नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 का मय दस्तावेजात चालू नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा, रिपोर्ट पटवारी हल्का परिशिष्ट " ए " एवं अभिशंषा तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा की गई है तथा रिपोर्ट अनुसार प्रश्नगत रास्ते में मौके पर ग्रेवल्ड सड़क चालू है सम्पूर्ण विवेचन से स्पष्ट है कि प्रार्थना–पत्र काबिल स्वीकार योग्य है, अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। आदेश पृथक से लिखाया जाकर संलग्न मिसल रहे। तहसीलदार कुचामनसिटी आदेशानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करे। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर) Signature Not Verified Digitally signed by Babu Lal Jat Date: 2022.01.17 11:46:34 IST Reason: SelfAttested	